न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी: बीना महावर, आर0ए0एस0)

अपील संख्या 45/2018

महेश पुत्र भौरया निवासी गढी ब्राहमण तहसील भुसावर जिला भरतपुर।
........अपीलान्ट

बनाम

तहसीलदार भुसावर जिला भरतपुर
........रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व आदेश तहसीलदार भुसावर दिनांक 19.06.2018 व मुकदमा सरकार बनाम महेश मि0न0 79/18

उपस्थित :— 1. श्री पंकज कुमार, अभिभाषक अपीलान्ट
2. राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक : 15.09.2021

अपीलान्ट ने यह अपील खिलाफ आदेश तहसीलदार भुसावर दिनांक 19.06.2018 पेश की गई है। तहत न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में 91 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय ने अपीलान्ट को ग्राम गढी ब्राहमण की आराजी खसरा नम्बर 147 रकवा 0.08 वीघा में से 0.01 वीघा गैरमुमकिन रास्ता एवं आराजी खसरा नम्बर 221/148 रकवा 5.08 वीघा में से 0.02 वीघा किस्म कदीम की भूमि पर अतिक्रमण मानते हुये बेदखल कर पैनल्टी की आज्ञा दी गई है। उक्त आदेश के खिलाफ यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रैस्पो0 एवं तहत पत्रावली तलब की गई। मूल तहत पत्रावली शामिल मिसिल है। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने तर्को में अपील में अंकित कथनो को दोहराते हुये जाहिर किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने आज्ञा पारित करने से पूर्व

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत जबाब का कतई अवलोकन नहीं किया। अपीलान्ट ने अपने जबाब में स्पष्ट लिखा है कि अपीलान्ट ने खसरा नम्बर 147 व 221/148 पर किसी प्रकार से कोई कब्जा नहीं किया है बल्कि अपीलान्ट का कब्जा अपनी खातेदारी के खसरा नम्बर 146/1 पर है। उन्होने यह भी जाहिर किया कि पटवारी हल्का के द्वारा मौके पर किसी प्रकार की कोई पैमाईश नहीं की और न मौका देखा मात्र पार्टीबन्दी के आधार पर पटवारी हल्का ने अपीलान्ट के विरूद्ध रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत की है। उन्होने यह भी जाहिर किया कि गांव के कुछ लोग पार्टीबन्दी के आधार पर अपीलान्ट के खिलाफ झूठी शिकायत करते रहते है। पूर्व में भी गांव के कुछ लोगों द्वारा जिला कलक्टर महोदय को शिकायत की गई थी जिस पर न्यायालय श्रीमान् द्वारा स्वयं जांचकर दिनांक 15.10.2015 को रिपोर्ट जिला कलक्टर को प्रेषित की जिसमें स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा किसी प्रकार से खसरा नम्बर 147 व 221/148 पर कोई अतिक्रमण नहीं कर रखा है व गांव के कुछ लोग अपीलान्ट की झूठी शिकायत करते रहते है। अन्त में वकील अपीलान्टान ने अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने की प्रार्थना की है।

पैरोकार सरकार ने तहत अदालत तहसीलदार भुसावर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.06.2018 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट के खिलाफ उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान भू राजस्व आधिनियम 1956 की धारा 91 के अंतर्गत की गई है जिसका तहत अदालत को वखूबी अधिकार प्राप्त है। अपीलान्ट के खिलाफ तहत अदालत द्वारा की गई कार्यवाही न्याय संगत है। इसलिए तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश बखूबी न्याय संगत है। अन्त में पैरोकार अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.06.2018 यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में रिपोर्ट पटवारी दिनांक 21.05.2018 में महेश पुत्र भौरया कौम ब्राहमण निवासी गढी ब्राहमण का संवत 2075 में आराजी खसरा नम्बर 221/148 किस्म कदीम में 0.02 वीघा एवं आराजी खसरा नम्बर 147 किस्म गैरमुमकिन रास्ता में 0.01 वीघा भूमि पर अतिक्रमण दर्शाया गया है। खसरा परिवर्तन संवत 2075 में महेश पुत्र भौरया कौम ब्राहमण निवासी गढी ब्राहमण का खसरा नम्बर 221/148 में 0.02 वीघा पर झोपडी, पशुवाडा एवं टीनसेट पुख्ता दीवार बनामर एवं खसरा नम्बर 147 में **50x12=600** वर्गफुट का अंकन है। मौका पर्चा दिनांक 21.05.2018 में मौके पर भतरपुर से आये पैमाईश टीम द्वारा जो सीमा चिन्ह लगाये गये है, उन्ही के अनुसार चारागाह भूमि एवं गैरमुमकिन रास्ता में पाये गये अतिक्रमण चिन्हित किया गया है। अपीलान्ट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में भी अपने जबाब में वर्ष 2015 में अतिक्रमण के संबंध में की गई शिकायत में तत्कालीन अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर की रिपोर्ट दिनांक 15.10.2015 प्रस्तुत की है। अपीलान्ट द्वारा मौका रिपोर्ट दिनांक 21.05.2018 को कही भी चैलेज नहीं किया है।

अतः आदेश है कि:–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ तहत पत्रावली तहसीलदार भुसावर को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 15.09.2021 को सुनाया गया।

(बीना महावर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)